कार्यालय आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

वेबसाईटः www.medicaleducation.mp.gov. in

दिनांक 01/08/2025

महत्वपूर्ण सूचना

स्नातक पाठ्यक्रम (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०) में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू०जी० 2025

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू०जी० २०२५ में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉप अप चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन लेना चाहते हैं को रू० 500 / –के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता / प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा. कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रवेशित महाविद्यालय में पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा तथा सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत) स्टाम्पित शपथ पत्र (Notarized affidavit) पर निष्पादित करेगा।

> संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश